राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. मालता पत्नि भूपराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. शारदा पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नेरन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 10.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 86/87 के खसरा न0 167 की 7.9040हैक भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 शारदोवी 325 हिस्सा की खातेदार है एवं रोही मोजा डुमासर के खाता संख्या 265/251 के खसरा न0 145 की 7.2080हैक भूमि स्थित है जिसकी वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है वादीया व प्रतिवादी दोनो सगी बहने है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार काश्त करते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा ढाणी चारनान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा डुमासर की भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो के नाम से दर्ज है अर्थात दोनो ही बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी का कथन है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से खाता विभाजन कर लिया है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार कर राजीनामा पेश किया गया है। कोई भी खातेदार काश्तकार काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपसी सहमति होने के कारण बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S.A. Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक अदालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–सोनडी

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–सोनडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मालता पत्नि भूपराम जाति जाट साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 शारदा पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी चक देईदासपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक–10.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 86/87 के खसरा न0 167 की 7.9040हैक भूमि सयुक्त तौर से 315 हिस्सा की वादिया अकेली खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 10 हिस्सा की खातेदार काश्तकार रहेगी एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 265/251के खसरा न0 145 की 7.2080हैक भूमि में प्रतिवादीया संख्या1 अकेली 1/2 हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–सोनडी